न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

विषय :– प्रार्थना पत्र जग्गासिंह पुत्र अर्जनसिंह कौम रायसिख साकिन अमरपुराथेड़ी बाबत दुरूस्ति रेकार्ड।

किस्म मुकदमा :– 136 एल.आर.एक्ट

मिसल नं. :– 60 सन् 2018 1/3.4.18 निर्णय दिनांक :– 22.03.2018

आज यह कागजात तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ से पत्र रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार (भू0अ0) हनुमानगढ़ से पत्र क्रमांक/191 दिनांक 10.01.2018 द्वारा रिर्पोट प्रस्तुत की है कि जमाबंदी सम्वत् 2046 ता 2049 में प्रार्थी का नाम चक 09 एच.एम.एच. के संयुक्त खाता सं. 25 में जगासिंह वल्द अर्जनसिंह .696 हिस्सा दर्ज रिकार्ड था। जमाबंदी सम्वत् 2050 ता 2053 बनाते वक्त खाता सं. 26 में प्रार्थी का नाम सहवन से जगदीशसिंह वल्द अर्जनसिंह .696 हिस्सा दर्ज हो गया। वर्तमान जमाबंदी सं. 2070 ता 2073 में भी जगदीशसिंह वल्द अर्जनसिंह .696 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का सही नाम जग्गासिंह वल्द अर्जनसिंह .696 हिस्सा वर्तमान जमाबंदी में किया जाना उचित है।

अतः मुताबिक प्रतिवेदन तहसीलदार दिनांक 10.01.2018 चक 09 एच.एम. एच. की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 2073 के खाता संख्या 16/20 में जगदीशसिंह वल्द अर्जनसिंह .696 हिस्सा दर्ज है की जगह सही नाम जग्गासिंह वल्द अर्जनसिंह 0.696 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर अंकन किया जावे। शेष प्रविष्टी यथावत रहेगी। इसी आश्य का आदेश हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमिल जाब्ता दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner